

Phone No. :- 02932-221077

email adress : ddsecpali@gmail.com

कार्यालय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा मण्डल पाली

—:: कार्यालय आदेश ::—

शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक 24.05.2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/ माध्य/संस्था/ एफ-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.17 एवं दिनांक 31.05.2017 में प्रारम्भिक शिक्षा के माध्यमिक विद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालय में समन्वयक से समन्वित विद्यालय में अधिशेष शाला दर्पण में 3बी में दर्ज कार्मिक (ऐसे वरिष्ठ अध्यापक जिनका वेतन प्रारम्भिक शिक्षा/पंचायती राज विभाग से आहरित हो रहा है) के समायोजन के निर्देश प्रदान किये जाने के कारण निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापकों का उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में समायोजन किया जाता है:-

क्र०स०	नाम वरिष्ठ अध्यापक	विषय	पदस्थापन स्थान	जिला	समायोजित स्थान	जिला
1	शारदा खत्री	हिन्दी	राउमावि रायपुरिया	जालोर	राउमावि देचू	जालोर
2	रंजना वर्मा	हिन्दी	राबाउमावि बालिया	पाली	राबामावि गुन्दोज	पाली
3	पुखाराम	हिन्दी	राउमावि बूसी	पाली	रामावि खटुकडा	पाली
4	रामलाल भटनागर	हिन्दी	राउमावि सेवाडी	पाली	रामावि लालराई	पाली
5	सोहन राज सांखला	सा०वि०	राउमावि जवाली	पाली	राउमावि भादरलाऊ	पाली
6	मोहनलाल	सा०वि०	राउमावि नांदिया	सिरोही	रामावि मालप	सिरोही

उपरोक्त कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आदेश में वर्णित प्रविष्टियों का सत्यापन/लम्बे समय से अनुपस्थिति/निलम्बन/न्यायालय स्थगन हो तो स्थिति स्पष्ट करते हुए इस कार्यालय को अवगत करावे।

इन्हें दिनांक 12.06.2017 तक अनिवार्यतः कार्यग्रहण करेंगे। इनके माह जून 2017 का वेतन यथावत समायोजित विद्यालय से ही आहरित होगा। सम्बन्धित संस्था प्रधान शाला दर्पण में आवश्यक संशोधन/कार्यग्रहण करा पालना से अवगत करावे।

(सीसराम)

उप निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, पाली

दिनांक :- 04.06.2017

क्रमांक: शिउनि/माध्य/पाली/संस्था/समायोजन/3बी/2017/261

प्रतिलिपि :-

- 1 विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
- 2 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) राजस्थान जयपुर।
- 3 निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- 4 उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर।
- 5 जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा पाली/सिरोही
- 6 सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी इनकी सेवापुस्तिकाओं में समस्त प्रविष्टिया पूर्ण करते हुए यथा समय समायोजित स्थान पर सेवापुस्तिका मय निजी पंजिका भिजवाने की व्यवस्था करें।
- 7 सम्बन्धित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित कार्मिक को समायोजित स्थान हेतु कार्यमुक्त करे।
- 8 सम्बन्धित कार्मिक।
- 9 रक्षक पत्रावली।